परियोजना का नामः– चार धाम परियोजना (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-94(134) कि0मी0 0.00 से 24.300 (धरासू बैंड़ से सिलक्यारा बैड) तक दो लेन चौडीकरण हेतु अतिरिक्त डम्पिगं स्थल एवं लैण्ड स्लाईड जोन के उपचार के लिए वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव।

प्रतिवेदन

जनपद उत्तरकाशी के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 94(134) के अन्तर्गत चार धाम परियोजना (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत कि0मी0 0.00 से 24.300 (धरासू बैंड़ से सिलक्यारा बैड) तक दो लेन चौडीकरण हेतु अतिरिक्त डम्पिगं स्थल एवं लैण्ड स्लाईड जोन के उपचार के लिए वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव गठित किया गया है, तथा **इ.पी.सी.** मोड के तहत विस्तारीकरण / सुधारीकरण का कार्य सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा किया जाना प्रस्तावित है । इसकी स्वीकृति भारत सरकार के शासनादेश संख्या एन0एच0 12014/105/2016/यू0आर0/चार धाम/एन0एच0–2 दिनांक **28/03/2017** के द्वारा स्वीकृति प्राप्त है। इसका उद्देश्य सुचारू परिवहन सुविधा उपलब्ध करने हेतु हर मौषम में खुली पक्की सड़क का निर्माण किया जाना है.

इस परियोजना के निर्माण होने तक 286 स्थानीय श्रमिकों को प्रतिदिन रोजगार उपलब्ध होगा। यह मार्ग सामरिक द्रष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मार्ग का निर्माण पूर्ण हो जाने से क्षेत्र का विकास, सुरक्षा बलों को उपकरण एवं भोजन सामग्री आदि पहुचाने में सुगमता होगी तथा स्थानीय जनता एवं पर्यटकों को सुचारू परिवहन सुविधा का लाभ भी मिलेगा ।

प्रस्तावित परियोजना को न्यूनतम मात्रा में भूमि के अधिग्रहण तथा वन सम्पदा की न्यूनतम मात्रा में क्षति पहुचाने की सावधानी बरतने की पृष्ठ भूमि में मार्ग तैयार किया जाना है । जिसकी पुष्टि याचक विभाग, वन विभाग तथा राजस्व विभाग के अधिकारीयों द्वारा संयुक्त निरिक्षण में कराइ गई है । इस परियोजना में विभिन्न व्यास एवं प्रजाति के 154 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी सूची संलग्न है ।

उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठ भूमि में संलग्न प्रस्ताव शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित करते हुए अनुरोध है, कि प्रस्तावित परियोजना हेतु राज्य सिविल भूमि 0.403 हेक्ट. आरक्षित वन भूमि, 5.566 हेक्ट. तथा नाप भूमि 0.449 हेक्ट. कुल वन भूमि 5.969 हेक्ट. याचक विभाग को हस्तानान्तरण करने की कृपा करें, ताकि उक्त परियोजना को यथा समय में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य पूर्ण किया जा सके ।

अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0
बड़कोट।